निग0/रीवा/2018/0060 (91)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय लिंक कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

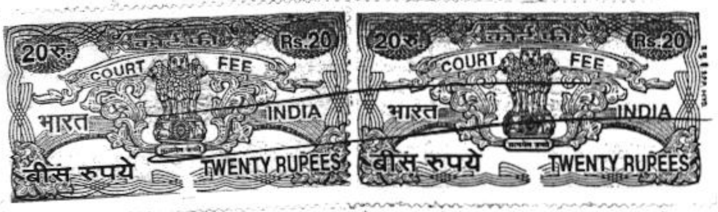

R800/-

1. शिवकुमार गुप्ता तनय रामभिलाष गुप्ता उम्र 47 वर्ष पेशा व्यापार,
2. चन्द्रप्रकाश गुप्ता तनय रामभिलाष गुप्ता उम्र 39 वर्ष पेशा व्यापार,

दोनो निवासी ग्राम पन्नी तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

..............................निगरानीकर्तागण

बनाम

1. भैयालाल मिश्र तनय श्यामसुन्दर मिश्र निवासी ग्राम पन्नी तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0
2. राजेन्द्र मिश्रा तनय गोकुल मिश्रा निवासी ग्राम डगडौवा तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

....उत्तरवादीगण

अधि0 श्री राकेश कुमार निगम
द्वारा पेश / 27-12-17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा के प्रकरण क0 07/अ-19(3)/मूल/2015-16 मे पारित दिनांक 29.11.2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

मान्यवर ,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पन्नी तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 स्थित आराजी ख0नं0 1527 रकवा 1.40 एकड़ की वर्ष 1956 के पूर्व से भूमिस्वामी मु0सुगिया पत्नी वंशधारी ब्राम्हण थी तथा राजस्व अभिलेख मे भी उक्त आराजी मे भू-स्वामी के रूप मे मु0सुगिया का नाम दर्ज था। उनका वंशवृक्ष निम्नानुसार था।

मु0 सुगिया पत्नी वंशधारी ब्राम्हण

वृन्दा → सरजू ब्राम्हण → पनौआ (पत्नी) (लाबल्द फौत)

दलगंजन → रघुवीर राम ब्राम्हण → शीतल प्रसाद (लाबल्द फौत)

इस प्रकार उक्त आराजी 1527 रकवा 1.40 एकड़ के 1/2 हिस्से के भूमिस्वामी शीतलप्रसाद थे किन्तु सरजू ब्राम्हण की कोई संतान न होने से

राकेश निगम 26/12/17

(191)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 0060 जिला रीवा

शिवकुमार गुप्ता / भैयालाल

(1)	(2)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री राकेश कुमार निगम अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 07 / अ–19(3) / मूल / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.11.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य